कार्यालय : वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, हजारीबाग

वन भवन — 1, हजारीबाग 825301 (झारखण्ड)

Ph. & Fax (O) - 06546 -222393, Cell No. : 8987790202 E-mail: cf.hazaribagh@gmail.com

पत्रांक 13—ई 05 (10)/2015— दिनांक ....

सेवा में,

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक,
हजारीबाग।

विषय :— राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना अन्तर्गत झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड का चौपारण ब्लॉक, (चौपारण से चोरदाहा) तक 11 के0 वी0 ट्रांशमिशन लाईन निर्माण हेतु 5.6322 हे0 वन भूमि अपयोजन का प्रस्ताव।

प्रसंगः— प्रधान मुख्य वन संरक्षक—सह—कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, रांची का ज्ञापांक 1131 दिनांक 07.12.2017 एवं आपका ज्ञापांक 3410 दिनांक 15.12.2017

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में वन प्रमंडल पदाधिकारी, हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल ने अपने पत्रांक 127 दिनांक 09.01.2018 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा सरकार के उप सचिव, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक वनभूमि—32/20167—5026 व0प0 दिनांक 01.12.2017 द्वारा विषयगत प्रस्ताव पर किये गये पृच्छा का निराकरण प्रतिवेदन आठ प्रतियों में समर्पित किया है। निराकरण प्रतिवेदन निम्नवत हैः—

पृच्छा	पृच्छा का अनुपालन (Justification)	अभियुक्ति
विषयक परियोजना हेतु प्रस्तावित मौजा चौपारण प्लॉट संख्या 35 एवं 37 तथा मौजा बिगहा प्लॉट संख्या 1, जिस पर पूर्व में स्वीकृति प्राप्त है, को प्रश्नगत प्रस्ताव में सम्मिलित करने का औचित्य क्या है?	पृच्छा के अनुपालनार्थ वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सूचित किया गया है Transmission Line को तकनिकी दृष्टिकोण से सुदृढ़ करने के क्रम में संशोधन किये गये हैं जिसके आलोक में मौजा चौपारण के प्लौट संख्या 35 एवं 37 तथा मौजा बिगहा प्लौट संख्या 1 में ट्रांसमिशन लाईन निर्माण में पड़ने वाले वन भूमि के रकवा में वृद्वि हुई जिसके कारण प्रश्नगत प्रस्ताव (5.6322 हे0) में भी इसे सम्मिलित किया गया ताकि ट्रासंमिशन लाईन का संचरण तकनिकी पहलुओं के मद्देनजर किया जा सके। साथ ही यह भी सूचित करना है कि प्रयोक्ता संस्थान के द्वारा दिनांक 28.12.2017 को समर्पित सूचना के अनुसार वैसे कोई भी प्लौट का हिस्सा नहीं लिया गया है, (प्रश्नगत प्रस्ताव के भूमि अनुसूचि में सम्मिलित नहीं किये गये हैं) जिनका अपयोजन पूर्व में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय भुवनेश्वर के पत्रांक JHC11/2009-BHU दिनांक 20.08.2010 द्वारा किया गया है।	

अतएव प्राप्त अनुपालन प्रतिवेदन की सात प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है।

अनु0—यथोक्त।

आपका विश्वासी
ह0/—
वन संरक्षक
प्रादेशिक अंचल, हजारीबाग

ज्ञापांक 168 दिनांक 17/01/18

प्रतिलिपि वन प्रमंडल पदाधिकारी, हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल को उनके पत्रांक 127 दिनांक 09.01.2018 के प्रसंग में सूचनार्थ प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 17/1
वन संरक्षक
प्रादेशिक अंचल, हजारीबाग

D:\CFHZ\C Act\13-E-5-10-2015.doc